

दिनांक 16.11.2024 को मै0 शिव हरि प्लाईवुड प्रा0 लि0, की लैमिनेट विनिर्माण इकाई का सिंथेटिक रेजिन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 शिव हरि प्लाईवुड प्रा0 लि0, खसरा नं0-184/1, ग्राम-रहमापुर, ठाकुरद्वारा रोड़, तहसील-जसपुर, जनपद-उधमसिंहनगर द्वारा उपरोक्तानुसार क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 के अन्तर्गत, पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व, लोक सुनवाई की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित है।

उक्त लोक सुनवाई किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई आयोजित किये जाने एवं उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में टीका/टिप्पणी, सुझाव, आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों "दैनिक जागरण"(उत्तराखण्ड संस्करण) व "टाईम्स ऑफ इण्डिया" (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 17.10.2024 के अंकों में जन सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, जसपुर, उधमसिंहनगर को नामित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रस्तावित उद्योग परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक-1)।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन समुदाय का स्वागत करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया कि, वे पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुने तथा इसके पश्चात परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से पैनल को अवगत करायें।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कोटियाल जी से विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने को कहा गया। इसी अनुक्रम में उद्योग की पर्यावरणीय परामर्शी संस्था ईक्यूएमएस ग्लोबल प्रा0 लि0, दिल्ली द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट आदि का विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सभा में उपस्थित जन समुदाय को उनके सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से दिये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा निम्नानुसार सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज की गयी।

1. श्री ब्रिजेश सिंह चौहान, ग्राम-रहमापुर – इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग काफी लम्बे समय से चल रहा है। उनके द्वारा नया उद्योग लगाने का समर्थन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
2. श्री आनन्द सिंह, ग्राम-रहमापुर- उनके द्वारा पृक्षा की गयी कि उद्योग में कैमिकल कैसे आयेगा तथा उद्योग लगाने का समर्थन किया गया।

इस पर उद्योग स्वामी द्वारा कहा गया कि कैमिकल टैंकर से पम्प के द्वारा कैटल में जायेगा। कैमिकल पम्पों के द्वारा क्लोज लूप में ही चकित होगा तथा कैमिकल से कोई मानवीय सम्पर्क आदि नहीं होगा।

3. श्री राहुल मैहरा, जसपुर- इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग लगाने से रोजगार मिलेगा व क्षेत्र का विकास होगा। इनके द्वारा उद्योग लगाने का समर्थन किया गया।
4. श्री राहुल सिंह, जसपुर- इनके द्वारा उद्योग लगाने से रोजगार मिलने व क्षेत्र का विकास होने की बात कही गयी। इनके द्वारा उद्योग लगाने का समर्थन किया गया।
5. श्री देवन्दर तिवारी, जसपुर- इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये जायेंगे।

इस पर उद्योग स्वामी द्वारा कहा गया कि कोई प्रदूषण नहीं होगा। इसमें कैमिकल प्रक्रिया क्लोज लूप में होगा। उद्योग परिसर में पेड लगाये जायेंगे। उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क आदि दिये जायेंगे।

6. श्री विजय प्रताप सिंह, जसपुर- इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग लगाने से क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसर मिलेंगे। इनके द्वारा भी उद्योग लगाने पर सहमति व्यक्त की गयी।
7. श्री सहनवाज, ग्राम-प्रधान, तालापुर- इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग लगाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा रोजगार के अवसर मिलने की बात कही। इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि उद्योग के समीप बहने वाली नदी में प्रदूषण तो नहीं होगा ?


इस पर उद्योग स्वामी द्वारा कहा गया कि उद्योग में पानी का प्रयोग काफी कम मात्रा में किया जायेगा, जिस हेतु एस.टी.पी. की स्थापना की जायेगी। उद्योग से कोई भी औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होगा।


8. मौ0 रफी जी, ग्राम-प्रधान- इनके द्वारा प्रोजेक्ट लगने का समर्थन किया गया।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य से पुनः आग्रह किया कि यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में देनी हैं तो वे लिखित रूप से भी अपनी आपत्ति/सुझाव पैनल को दर्ज करा सकते हैं, जिसको कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा।

इसी क्रम में पैनल अध्यक्ष द्वारा भी लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य से कहा कि इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों को अन्य अनुमतियों में संज्ञान लिया जायेगा। उनके द्वारा जन समुदाय से प्राप्त विचार/आपत्ति/सुझाव पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

लोक सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कोई विचार/आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर पैनल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया। लोक सुनवाई की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग व फोटोग्राफी भी करायी गयी है, जो कि संलग्न है तथा लोक सुनवाई में किसी भी प्रकार का लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।


(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर


(अभय प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी, जसपुर
उधमसिंहनगर।

श्री शिव हरि चारिड पाठ सिद्धि,
जमपुर - उपपक्षि

रपसरा नं- 184/1, ग्राम- रडमापुर, ठाकरहाल रोड,
की परिष्कारणीय स्विकृती हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति का पिकरण

दिनांक - 16/11/2024
समय - प्रातः 11:00 बजे

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1)	अमय प्रताप सिंह	उपमहासिवारी बायपुर		
2)	नरेश मोहनजी,	बोरोडी श्री. बोरो बायोपुर	972120888	
3)	मोहित कुमार लुने	प्रवेदी जी कारीपुर	9760828526	
4)				
5)				
6)	Rohank Kolyal (Consultant)	Eams Global Pvt. Ltd. Delhi.	9718472464	
7)	रमेश शिव लाल	रडमापुर तलवपुर	7618980409	रमेश
8)	वसंत कुमार अनिल कुमार	जमपुर तरकापुर	8087055916 8037828098	Shiv Lal Basant
9)	हरि सिंह	तरावदलवातपुर महुआडांका	9089894143 2055065465	हरि सिंह
10)	सुनील कुमार		9257144676	सुनील कुमार